

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभाग/विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

4-8-14

विषय:- विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सुपूर्द करने के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र/अनुदेशों तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय परिपत्र संख्या- 6956 दिनांक- 21.10.2008 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व की प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त परिपत्र के साथ एक विहित जाँच-पत्र भी संलग्न किया गया है और यह निदेश दिया गया है कि उक्त विहित जाँच-पत्र में वांछित सूचना भरकर सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ ही विभागीय कार्यवाही जाँच हेतु मामले विभागीय जाँच आयुक्त को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. परन्तु ऐसा पाया गया है कि विभागीय कार्यवाही के मामले विभागीय जाँच आयुक्त को भेजे जाने के समय विभिन्न विभागों द्वारा उपर्युक्त विभागीय परिपत्र का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है और विभागीय कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात, यथा-आरोप पत्र एवं उनकी साक्ष्य तालिका के वगैर

ही मामले विभागीय जाँच आयुक्त को भेज दिये जाते हैं। इससे विभागीय कार्यवाही के संचालन में अनावश्यक विलम्ब होता है।

4. अतएव आपका ध्यान उपर्युक्त विभागीय परिपत्र एवं उसके साथ संलग्न विहित जाँच-पत्र की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए जो विभिन्न कागजात विभागीय जाँच आयुक्त को भेजे जाने हैं, उन्हें भेजने से पहले पूरी सावधानी से देखकर संतुष्ट हो लें की उसमें सभी आवश्यक कागजात उचित रूप से और सिलसेवार, उचित संदर्भों के साथ भेजे जा रहे हैं अथवा नहीं तथा विहित जाँच-पत्र में वांछित सूचनाएँ उचित रूप में अंकित है अथवा नहीं। ऐसा नहीं होने पर यदि विभागीय कार्यवाही संचालित करने में विलम्ब होता है तो इसकी जावाबदेही संबंधित विभाग के उस पदाधिकारी की समझी जायेगी जिसके हस्ताक्षर से मामला विभागीय जाँच आयुक्त को भेजा गया हो।

विश्वासभाजन,



(डॉ० धर्मेन्द्र सिंह गंगवार),

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 3/एम०-162/2005सा०प्र०.10798/पटना-15, दिनांक 4.8.2014

प्रतिलिपि- विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को उनके पत्र

ज्ञापांक- 193 दिनांक- 13.05.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।



(डॉ० धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)

सरकार के प्रधान सचिव।